मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेन्सी एरिया
इन्दौर

क्रमांक–.774/2018/उ.स. इन्दौर दिनांक –24.03.2018

–::विज्ञप्ति::–

आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग–आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी पद्धति अपनाता है। प्रश्न पत्र निर्माण एक से अधिक विद्वानो द्वारा (03 सेट में) किया जाता है एवं अंत में मॉडरेटर (अनुसीमक) द्वारा प्रश्न पत्र को अंतिम रूप दिया जाता है। भिन्न–भिन्न स्त्रोत में अलग अभिमत एवं प्रिंटिग अशुद्धि के कारण त्रुटि होना संभव है। अतः आयोग सेटर व मॉडरेटर द्वारा प्रदाय की गई कुंजी प्रावधिक रूप से जारी करता है तथा 07 दिवस की अवधि में प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित करता है। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विज्ञापन में दी गई प्रक्रिया अनुसार निम्न रूप से त्रुटि निवारण किया जाता है :–

1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।

2. आपत्तियों के आधार पर, निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को, प्रश्न पत्र से विलोपित किया जायेगा :–

   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्प में सही उत्तर न हो।
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्प में एक से अधिक सही उत्तर हो।
   - प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो।

3. विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विज्ञापन में वर्णित प्रक्रिया का पालन कर विचार उपरान्त अंतिम उत्तरकुंजी प्रकाशित की जाती है।

4. आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा की गई आपत्ति सही पाये जाने पर आपत्ति शुल्क वापस लौटा दिया जावेगा।

5. प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक मध्यप्रदेश शासन द्वारा पदों में वृद्धि संबंधी मांगपत्र प्राप्त होने पर आयोग द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाती है। इसका प्रावधान विज्ञापन में वर्णित है।

6. अंतिम उत्तर कुंजी से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते हुए कुल विज्ञापित पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह घोषित किया जाता है।

7. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से कुल विज्ञापित पदों के 03 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है।

8. चयन परिणाम मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन सूची शासन को भेजी जाती है।

आयोग की परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदाय करने हेतु यह विज्ञप्ति जारी की गई है।

उप सचिव
म.प्र.लोक सेवा आयोग,
इन्दौर